FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)
प्रथम सूचना रिपोर्ट
(धारा 154 दंड प्रक्रिया सहिंता के तहत)

1. **District (जिला):** Anti Corruption Bureau, Haryana **P.S. (थाना):** ACB, Rohtak **Year (वर्ष):** 2024

FIR No. (प्र.सू.रि. सं.): 0007 **Date and Time of FIR (प्र.सू.रि. की दिनांक और समय):** 29/02/2024 12:08 hrs

2.

S.No. (क्र.सं.)	Acts (अधिनियम)	Sections (धारा(एँ))
1	IPC 1860	109
2	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(2)
3	PREVENTION OF CORRUPTION ACT, 1988	13(1)E

3. (a) **Occurrence of offence (अपराध की घटना):**

1 **Day (दिन):** **Date from (दिनांक से):** **Date To (दिनांक तक):**

Time Period (समय अवधि): **Time From (समय से):** **Time To (समय तक):**

(b) **Information received at P.S. (थाना जहां सूचना प्राप्त हुई):** **Date (दिनांक):** 29/02/2024 **Time (समय):** 11:40 hrs

(c) **General Diary Reference (रोजनामचा संदर्भ):** **Entry No. (प्रविष्टि सं.):** 011 **Date and Time (दिनांक और समय):** 29/02/2024 11:45 hrs

4. **Type of Information (सूचना का प्रकार):** Written

5. **Place of Occurrence (घटनास्थल):**

1. **(a) Direction and distance from P.S. (थाना से दूरी और दिशा):** **Beat No. (बीट सं.):**

(b) Address (पता): रोहतक,

(c) In case, outside the limit of this Police Station, then Name of P.S. (यदि थाना सीमा के बाहर है तो थाना का नाम):

District (State) (जिला (राज्य)):

6. **Complainant / Informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता):**

(a) **Name (नाम):** L INSP PARMILA DEVI

(b) **Father's/Husband's Name (पिता/पति का नाम):**

(c) **Date/Year of Birth (जन्म तिथि / वर्ष):** 12/07/1976 (d) **Nationality (राष्ट्रीयता):** INDIA

(e) **UID No. (यूआईडी सं.):**

(f) **Passport No. (पासपोर्ट सं.):**

Date of Issue (जारी करने की दिनांक): **Place of Issue (जारी करने का स्थान):**

(g) **ID Details (Ration Card, Voter ID Card, Passport, UID No., Driving License, PAN) (पहचान विवरण (राशन कार्ड ,मतदाता कार्ड ,पासपोर्ट, यूआईडी सं., ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड))**

S. No. (क्र.सं.)	ID Type (पहचान पत्र का प्रकार)	ID Number (पहचान संख्या)

(h) **Occupation (व्यवसाय):**

(i) **Address (पता):**

S.No. (क्र.सं.)	Address Type (पता का प्रकार)	Address (पता)
1	**Present Address**	**PS ACB ROHTAK, ROHTAK, HARYANA, INDIA**
2	**Permanent Address**	**PS ACB ROHTAK, ROHTAK, HARYANA, INDIA**

(j) **Phone number (दूरभाष सं.):** **Mobile (मोबाइल सं.):** 91-9485600335

7. **Details of known / suspected / unknown accused with full particulars (ज्ञात / संदिग्ध / अज्ञात अभियुक्त का पूरे विवरण सहित वर्णन):**

S. No. (क्र.सं.)	Name (नाम)	Alias (उपनाम)	Relative's Name (रिश्तेदार का नाम)	Present Address(वर्तमान पता)
1	सेवानिवृत ई0ए0एस0आई0 सतपाल सिंह नं0 613 झज्जर		Father's Name: श्री महासिंह	1. 2266/9,विशाल नगर,रोहतक, ROHTAK,HARYANA,INDIA
2	श्रीमति उर्मिला		Husband's Name: ई0ए0एस0आई0 सतपाल सिंह	1. 2266/9,विशाल नगर,रोहतक, ROHTAK,HARYANA,INDIA

8. **Reasons for delay in reporting by the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता द्वारा रिपोर्ट देरी से दर्ज कराने के कारण):**

9. **Particulars of properties of interest (संबन्धित सम्पत्ति का विवरण):**

S. No. (क्र.सं.)	Propertty Category (सम्पत्ति श्रेणी)	Property Type (सम्पत्ति के प्रकार)	Description (विवरण)	Value(In Rs/-) (मूल्य (रु में))

10. **Total value of property (In Rs/-) (सम्पत्ति का कुल मूल्य(रु में)):**

11. **Inquest Report / U.D. case No., if any (मृत्यु समीक्षा रिपोर्ट / यू.डी.प्रकरण सं., यदि कोई हो):**

S. No. (क्र.सं.)	UIDB Number (यू.डी.प्रकरण सं.)

12. **First Information contents (प्रथम सूचना तथ्य):**

सेवा में,
प्रबन्धक अफसर,
थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
रोहतक मण्डल, रोहतक।

श्रीमान जी,

गुमनाम शिकायत के आधार पर महानिदेशक, राज्य चौकसी ब्यूरो हाल एन्टी करप्शन ब्यूरो (ह0), पंचकुला के पृष्ठांकन क्रमांक 12480/आई-6/रा0चौ0ब्यू0 (ह0) दिनांक 04.09.2018 अनुसार जाँच क्रमांक 07 दिनांक 29.08.2018 रोहतक दर्ज की गई थी। जांच में प्रतिवादी ई0ए0एस0आई0 सतपाल सिंह नं0 613/झज्जर हाल सेवानिवृत पुत्र श्री महासिंह निवासी गांव खिडवाली, जिला रोहतक हाल मकान नं0 2266/9, विशाल नगर, रोहतक के खिलाफ आय से अधिक सम्पति के आरोपों की पडताल निरीक्षक प्रमिला, एन्टी करप्शन ब्यूरो, रोहतक मण्डल, रोहतक द्वारा की गई है। दौराने जांच अंकित किये गये कथनों व हासिल किये गऐ प्रलेखों तथा की गई पडताल से पाया गया है कि प्रतिवादी सतपाल सिंह, सेवानिवृत ई0ए0एस0आई0 पुत्र श्री महा सिंह निवासी गांव खिडवाली, जिला रोहतक हाल निवासी मकान नं0 2266/09, विशाल नगर, रोहतक दिनांक 01.12.1988 को हरियाणा पुलिस विभाग में बतौर सिपाही नियुक्त होना व दिनांक 31.07.2017 को बतौर ई0ए0एस0आई0 स्वेच्छिक सेवानिवृत होना पाया गया है। हरियाणा पुलिस विभाग में नौकरी के दौरान प्रतिवादी की तैनाती हरियाणा शस्त्र पुलिस चतुर्थ श्रेणी मधुबन, जिला पुलिस सोनीपत, जिला पुलिस पानीपत, कार्यालय जिला परिवहन अधिकारी एंव सचिव प्रादेशिक परिवहन प्राधिकरण रेवाडी, जिला पुलिस झज्जर, जिला पुलिस रेवाडी व जिला पुलिस झज्जर में होनी पाई गई है।

जांच के दौरान प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवार राशन कार्ड वर्ष 2006 अनुसार प्रतिवादी के परिवार में प्रतिवादी के अतिरिक्त प्रतिवादी की धर्मपत्नी श्रीमती उर्मिला देवी, भाई सुनील कुमार, पुत्री निधी, अनुजा व नीकिता तथा पुत्र हिमांशु पाये गये। इनके अतिरिक्त प्रतिवादी के पिताजी श्री महा सिंह निवासी गांव खिडवाली जिला रोहतक हरियाणा राज्य परिवहन विभाग से बतौर चालक वर्ष 1984 में नियुक्त होने व दिनांक 30.11.2000 को सेवानिवृत होने पाये गये है तथा माताजी श्रीमती परमेश्वरी देवी का स्वर्गवास होना पाया गया है व प्रतिवादी के छोटे भाई सुनील व अनिल का भी स्वर्गवास होना पाया गया है।

प्रतिवादी द्वारा अपनी वार्षिक आयकर विवरणी वर्ष 2018-19 व अपनी धर्मपत्नी श्रीमती उर्मिला की वार्षिक आयकर विवरणी वर्ष 2011-12, 2012-13, 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18, 2018-19 के अवलोकन से प्रतिवादी की धर्मपत्नी श्रीमती उर्मिला द्वारा वर्ष 2011-12 आयकर विवरणी अपनी हॉस्टल आय व खेतीबाडी की आय के आधार पर भरी जानी पाई गई है।

जांच के दौरान प्रतिवादी व उसके परिवार के सदस्यों के नाम चल-अचल सम्पति की रिकार्ड के आधार पर जांच अवधि निर्धारण (चैक पीरियड - पनोली दाराबशा दारूवाला बनाम महाराष्ट्र राज्य ए0आई0आर0-1988, एस0सी0-88) दिनांक 01.01.2006 से दिनांक 31.07.2017(सेवानिवृति तिथि) तक करने उपरान्त प्रतिवादी सतपाल सिंह द्वारा अपने व अपने परिवार के सदस्यों के नाम निम्नलिखित चल-अचल सम्पति अर्जित की पाई गईः-

1. प्रतिवादी की धर्मपत्नी श्रीमती उर्मिला के नाम वसीका संख्या 5028 दिनांक 01.09.2008 अनुसार मौजा पाडा विशाल नगर, रोहतक में एक प्लाट 216 वर्ग गज नकद मु0 9,76,000/- में श्रीमती इंदूबाला धर्मपत्नी श्री राज सिंह निवासी गांव बिमनी जिला झज्जर से खरीद किया जाना पाया गया तथा इस वसीका के रजिस्ट्रेशन पर स्टाम्प डियुटी मु0 48,800/-रू व रजि0 फीस 5,000/-रू खर्च की जानी पाई गई।

2 प्रतिवादी की धर्मपत्नी श्रीमती उर्मिला के नाम वसीका संख्या 12392 दिनांक 19.03.2012 अनुसार गांव खिडवाली, जिला रोहतक में 15 कनाल 11 मरला कृषि भूमि नकद मु0 33,05,000/-रू में श्री रणबीर सिंह पुत्र श्री अभे सिंह निवासी गांव खिडवाली जिला रोहतक से खरीद किया जाना पाया गया तथा इस वसीका के रजिस्टेªशन पर स्टाम्प डियुटी मु0 99,150/-रू व रजि0 फीस मु0 15,000/-रू खर्च की जानी पाई गई।

3 प्रतिवादी की धर्मपत्नी श्रीमती उर्मिला के नाम वसीका संख्या 2099 दिनांक 12.06.2012 अनुसार मौजा पाडा विशाल नगर, रोहतक में एक प्लाट 220 वर्ग गज नकद मु0 30,00,000/-रू में श्री चान्द सिंह पुत्र श्री श्रीलाल निवासी गांव जसिया जिला रोहतक से खरीद किया जाना पाया गया तथा इस वसीका के रजिस्ट्रेशन पर स्टाम्प डियुटी मु0 1,50,000/-रू व रजि0 फीस मु0 15,000/-रू खर्च की जानी पाई गई है। उल्लेखनीय है कि उपरोक्त वसीका में मकान की जगह गलतीवश प्लाट अंकित होने पर वसीका संख्या 9012 दिनांक 28.08.2019 अनुसार ततीमा रजिस्ट्री करवाकर प्लाट की जगह मकान दर्ज करवाया जाना पाया गया।

4 प्रतिवादी की धर्मपत्नी श्रीमती उर्मिला के नाम वसीका संख्या 4945 दिनांक 18.09.2012 अनुसार मौजा पाडा विशाल नगर, रोहतक में एक प्लाट 221.83 वर्ग गज नकद मु0 30,00,000/-रू में श्री सत्यवीर सिंह पुत्र श्री मीहु राम निवासी विशाल नगर रोहतक से खरीद किया जाना पाया गया तथा इस वसीका के रजिस्ट्रेशन पर स्टाम्प डियुटी मु0

1,50,000/-रू व रजि0 फीस मु0 15,000/-रू खर्च की जानी पाई गई।

5 प्रतिवादी द्वारा अपने नाम पर एक नई कार हुन्डई क्रेटा रजि0 नं0 एच0आर0-12-ए0सी0-5003 दिनांक 25.07.2016 को डीलर श्रृष्टि मोटर्स प्रा0लि0 रोहतक से खरीद की जानी पाई गई। जिस सम्बन्ध में डीलर श्रृष्टि मोटर्स प्रा0लि0 रोहतक से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार दिनांक 25.07.2016 को नकद मु0 3,300/-रू, दिनांक 25.07.2016 को आर0टी0जी0एस0 मु0 2,90,000/- व दिनांक 27.07.2016 को लोन मु0 12,21,720/-रू जो कुल 15,15,020/-रू खर्च होने पाये गये।

उपरोक्त चल-अचल सम्पति की खरीद-फरोख्त के सम्बन्ध में प्रतिवादी द्वारा दिये गये दस्तावेजों के आधार पर प्रतिवादी व उसके परिवार के सदस्यों के विभिन्न बैंक खातों का विवरण प्राप्त किया गया। जिस पर प्रतिवादी सतपाल का एच0डी0एफ0सी0 बैंक खाता संख्या 50100147901636 व ओरियन्टल बैंक आँफ कामर्स अब पंजाब नेशनल बैंक खाता संख्या 00325015001914 व प्रतिवादी के पिताजी श्री महा सिंह के स्टेट बैंक आँफ इण्डिया खाता संख्या 11075590295 व प्रतिवादी के बेटे हिमांशु के स्टेट बैंक आँफ इण्डिया खाता संख्या 50411057629 होना पाया गया।

पडताल पर उपरोक्त बैंक खातों के अतिरिक्त प्रतिवादी की धर्मपत्नी श्रीमती उर्मिला देवी द्वारा ओरियन्टल बैंक आँफ कामर्स अब पंजाब नेशनल बैंक खाता संख्या 04496015000911 अनुसार दिनांक 07.06.2012 को 22 लाख रू का लोन लिया जाना पाया गया, जिसके विवरण अनुसार दिनांक 07.06.2012 से 31.07.2017 तक कीस्तों में मु0 13,93,055/-रू बैंक को अदा किये जाने पाये गये। प्रतिवादी द्वारा स्टेट बैंक आँफ इण्डिया खाता संख्या 50122188913 अनुसार दिनांक 17.09.2012 को मु0 25 लाख का लोन लिया जाना पाया गया, जिसके विवरण अनुसार दिनांक 17.09.2012 से 31.07.2017 तक कीस्तों में मु0 13,89,500/-रू बैंक को अदा किये जाने पाये गये। प्रतिवादी द्वारा एच0डी0एफ0सी0 बैंक खाता संख्या 41351006 अनुसार दिनांक 25.07.2016 को मु0 12,31,590/-रू का आटो लोन लिया जाना पाया गया। जिसके विवरण अनुसार दिनांक 25.07.2016 से 31.07.2017 तक कीस्तों में मु0 2,86,275/-रू बैंक को अदा किये जाने पाये गये।

उपरोक्त जांच निर्धारण अवधि दिनांक 01.01.2006 से 31.07.2017 तक के दौरान प्रतिवादी द्वारा हरियाणा पुलिस विभाग से मु0 10,93,387/-रू वेतन प्राप्त किया जाना पाया गया तथा इस वेतन से 1/3 हिस्सा (फैसला सज्जन कुमार बनाम पंजाब राज्य अनुसार) रसोई खर्च व अन्य घर खर्च के रूप में कटौती की गई है। जिसके उपरान्त उपरोक्त अवधि में प्रतिवादी की वेतन बचत आय 3,64,462/-रू होनी पाई गई है।

जांच के दौरान तकनीकी अधिकारी श्री राजू सरीन, उप मण्डल अभियन्ता, राज्य चौकसी ब्यूरो, हरियाणा पंचकूला से प्रतिवादी के मकान नं0 2266/09, विशाल नगर, रोहतक, जिसमें लक्ष्मी हाँस्टल के नाम से पी0जी0 चलाया जा रहा है, उसके 5 मंजिल निर्माण खर्च बारे आंकलन करवाया गया तथा तकनीकी अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त की गई। जिस पर उपरोक्त प्लाट 220 वर्ग गज पर निर्मित 5 मंजिला भवन के निर्माण पर मु0 70,66,000/-रू खर्च होने पाये गये।

जांच के दौरान प्रतिवादी द्वारा उपरोक्त चल-अचल सम्पति की खरोद-फरोख्त व उपरोक्त म0नं0 2266/09, विशाल नगर, रोहतक के निर्माण खर्च राशी के सम्बन्ध में अपने भाई स्वं0 श्री सुनील का दिनांक 31.03.2010 का एक शपथ पत्र पेश किया गया, जिसमें प्रतिवादी के भाई श्री सुनील द्वारा प्रतिवादी की पत्नि उर्मिला को दिनांक 03.02.2010 को 50 लाख व दिनांक 04.02.2010 को 20 लाख रू उपहार के रूप में दिये जाने बारे शपथ किया गया है व इसके साथ प्रतिवादी के भाई सुनील के इण्डियन ओवरसीज बैंक खाता संख्या 180401000000887 का विवरण भी लगाया गया है, जिसमें उसके बैंक खाता से दिनांक 03.02.2010 को 50 लाख रू व दिनांक 04.02.2010 को 40 लाख रू नकद निकासी होनी पाई गई है। इसके अलावा प्रतिवादी द्वारा दिनांक 07.03.2012 का एक शपथ पत्र और पेश किया गया, जिसमें प्रतिवादी के मामाजी श्री पृथी सिंह निवासी बुटाना जिला सोनीपत द्वारा प्रतिवादी की माताजी श्रीमती परमेश्वरी देवी को दिनांक 06.02.2012 को 26 लाख रू उपहार में दिये जाने शपथ हुये है। इस षपथ पत्र के साथ पृथी सिंह के एच0डी0एफ0सी0 बैंक खाता संख्या 17321000027200 का विवरण लगाया गया है, जिसमें दिनांक 06.02.2012 को 26 लाख रू नकद निकासी की जानी पाई गई है तथा प्रतिवादी द्वारा इसी दिन 07.03.2012 का एक षपथ पत्र और प्रस्तुत किया गया है, जिसमें प्रतिवादी की माताजी श्रीमती परमेश्वरी द्वारा प्रतिवादी की धर्मपत्नी श्रीमती उर्मिला को 26 लाख रू उपहार में दिये जाने बारे शपथ किया गया है। प्रतिवादी द्वारा उपरोक्त शपथ पत्रों के सम्बन्ध में अपने भाई सुनील कुमार, अपने मामाजी श्री पृथ्वी सिंह का मृत्यु प्रमाण पत्र भी पेश किये है।

इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय है कि पडताल पर उपरोक्त शपथ-पत्रों में काफी कमियां होनी पाई गई, जैसे प्रतिवादी के भाई सुनील द्वारा अपनी भाभी श्रीमती उर्मिला पत्नी श्री सतपाल को दिनांक 31.03.2010 को शपथ-पत्र में बहन दर्शाया गया है तथा बतौर गवाह श्री देवेन्द्र व श्री राजेन्द्र के हस्ताक्षर करवाये हुये है और लगभग 2 वर्ष बाद दिनांक

07.03.2012 उसी गलती को दोहराते हुये इसी प्रकार प्रतिवादी की माताजी श्रीमती परमेश्वरी द्वारा अपनी पुत्रवधु श्रीमती उर्मिला पत्नी श्री सतपाल को भी बहन दर्शाया गया है तथा बतौर गवाह श्री देवेन्द्र व श्री राजेन्द्र के हस्ताक्षर करवाये हुये है। जिससे प्रतीत होता है कि उपरोक्त शपथ-पत्रों को प्रतिवादी द्वारा अपने बचाव में बाद में एक साथ तैयार करवाया गया है। इसके अतिरिक्त प्रतिवादी द्वारा दो कच्ची रसीदे प्रस्तुत की गई है, जिनमें एक में प्रतिवादी सतपाल द्वारा अपने रिश्तेदार श्री कुलदीप पुत्र श्री पृथ्वी सिंह निवासी बुटाना जिला सोनीपत (पत्नी का भाई) से दिनांक 05.01.2011 को 5 लाख रू उधार लिए जाने बारे लिखा गया है तथा दूसरी कच्ची रसीद में प्रतिवादी सतपाल द्वारा अपने श्री चांद सिंह पुत्र श्रीलाल निवासी जसिया जिला रोहतक से उसके मकान खरीद मुल्य में 9 लाख 50 हजार रू की दिनांक 06.06.2012 को उधार करने बारे लिखा गया है। जिनकी कोई वैध प्रमाणता होनी नही पाई गई है और ना ही प्रतिवादी व उसकी धर्मपत्नी श्रीमती उर्मिला द्वारा अपनी आयकर विवरणी में उपरोक्त उधार/उपहार राशी को दर्शाया गया। जांच में प्रतिवादी को उसके भाई सुनील को उधार देने वाले उसके दोस्त के पूरा नामपता बारे भी पूर्ण जानकारी होनी नही पाई गई और इतने वर्ष बीत जाने के बाद भी उधार देने वाले व्यक्ति द्वारा अपनी उधार लेने के लिए कोई प्रयास किये जाने नही पाये गये। पडताल पर उपरोक्त तथ्यों बारे प्रतिवादी द्वारा कोई ठोस जवाब/साक्ष्य प्रस्तुत नही किये गये है। इसके अतिरिक्त जांच के दौरान प्रतिवादी द्वारा कोई सहयोग नही किया गया और बार-बार कहने पर प्रतिवादी द्वारा विभाग द्वारा निर्धारित आय-व्यय विवरण बारे स्टेटमैन्ट (प्रोफार्मा I से VI) भरकर नही दिया गया। इसलिए उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुये उपरोक्त शपथ-पत्रों अनुसार प्रतिवादी को प्राप्त उधार/उपहार राशी को प्रतिवादी की आय में शामिल नही किया गया है।

जांच के दौरान प्रतिवादी की संयुक्त परिवार सहित चल-अचल सम्पति बारे प्राप्त सूचना/दस्तावेजों व कथनों तथा तैयार की आय-व्यय तालिका अनुसार नीयत जांच अवधि निर्धारण (चैक पीरियड- पनोली दाराबशा दारूवाला बनाम महाराष्ट्र राज्य ए0आई0आर0-1988, एस0सी0-88) दिनांक 01.01.2006 से दिनांक 31.07.2017 तक में प्रतिवादी की संयुक्त परिवार आय मु0 98,86,733/-रू होनी पाई गई और व्यय मु0 2,27,93,362/-रू होना पाया गया, जो आय-व्यय तालिका अनुसार प्रतिवादी ने अपनी संयुक्त परिवार आय से मु0 1,29,06,929/-रू अधिक खर्च किये जाने पाये गये है। जोकि आय-व्यय तालिका अनुसार प्रतिवादी की आय से व्यय 130 प्रतिशत अधिक होना पाया गया है। मेरे द्वारा प्रतिवादी को आय के स्त्रोत प्रस्तुत करने के लिए नोटिस जारी किया गया गया लेकिन जांच के दौरान प्रतिवादी आय से अधिक सम्पति अर्जित करने के सम्बन्ध में आय के कोई ठोस तथ्य/साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। इसलिए प्रतिवादी सतपाल सिंह, सेवानिवृत ई0ए0एस0आई0 पुत्र श्री महा सिंह निवासी गांव खिडवाली, जिला रोहतक हाल निवासी मकान नं0 2266/09, विशाल नगर, रोहतक के विरूद्ध धारा 13(1)(ई) (अपराध के समय प्रचलित कानून) r/w 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 के अधीन अपराधिक अभियोग अंकित करने व दौराने अनुसंधान प्रतिवादी सतपाल सिंह से विभाग द्वारा निर्धारित आय-व्यय विवरण बारे स्टेटमैन्ट (प्रोफार्मा I से VI) भरवाकर प्रतिवादी की चल-अचल सम्पति का विवरण प्राप्त करने तथा प्रतिवादी द्वारा उधार/उपहार राशी बारे प्रस्तुत शपथ पत्रों के सत्यापन बारे गहनता से जांच करने का सुझाव दिया गया था।

महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ह0), पंचकुला के यादि क्रमांक 18427/I-5/ACB(H) दिनांक 08.11.2023 के अनुसार प्रतिवादी सतपाल उपरोक्त के खिलाफ धारा 13(1)E r/w 13(2) P.C Act 1988 व प्रतिवादी की पत्नी श्रीमति उर्मिला के खिलाफ 109 भा.द.स. के तहत अभियोग दर्ज करने के आदेश प्राप्त हुए हैं। अतः प्रतिवादी उपरोक्त व उसकी पत्नी श्रीमति उर्मिला के खिलाफ उपरोक्त धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अफसरान बाला को बजरिया टेलिफोन, ई-मेल द्वारा सूचित किया जाऐ व स्पेशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब को भेजी जाऐ। अभियोग के अनुसंधान के दौरान किसी और अधिकारी/कर्मचारी या व्यक्ति की संलिप्तता पाई जाती है तो उसे भी देख जिया जावे। मुकदमा दर्ज रजिस्टर होने उपरान्त मुकदमा की तकमील तफतीश अमल में लाई जावेगी। हस्ता अंग्रेजी Parmila insp (प्रमिला), निरीक्षक,थाना एन्टी करप्शन ब्यूरो,रोहतक मण्डल, रोहतक।

अज थाना- हस्ब आमदा तहरीर पर मुकदमा नम्बर 07 दिनांक 29.02.24 धारा 13(1)E r/w 13(2) P.C Act 1988 व धारा 109 IPC PC ACT PS ACB RTK दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अफसरान बाला को बजरीया मेल दवारा सूचना दी गई। नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर मय सम्बन्धित कागजात SP साहब द्वारा नियुक्त अनुसंधान अधिकारी निरीक्षक सचिव कुमार न0 1720/गुरुग्राम भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक के हवाले की जाएगी व स्पेशल रिपोर्ट बजरिया ई-मेल डयूटी मैजिस्ट्रेट साहब रोहतक भेजी जाएगी। उपरोक्त मुकदमा प्रबन्धक अफसर थाना के कोड से निरीक्षक सुरेश कुमार

न0 293/RR थाना भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो रोहतक की हाजरी मे दर्ज रजिस्टर किया गया है।

13. **Action taken: Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at Item No. 2.** **(की गयी कार्यवाही :** चूंकि उपरोक्त जानकारी से पता चलता है कि अपराध करने का तरीका मद **सं.** 2 में उल्लेख धारा के तहत है.**):**

(1) **Registered the case and took up the investigation (प्रकरण दर्ज किया गया और जांच के लिए लिया गया):** / **or (या)**

(2) **Directed (Name of I.O.) (जांच अधिकारी का नाम):** Sachiv Kumar **Rank (पद):** I (Inspector)

No. (सं.): 1720ggn **to take up the Investigation (को जांच अपने पास में लेने के लिए निर्देश दिया गया) or (या)**

(3) **Refused investigation due to (जांच के लिए):** **or (के कारण इंकार किया या)**

(4) **Transferred to P.S. (थाना):** **District (ज़िला):**

on point of jurisdiction (को क्षेत्राधिकार के कारण हस्तांतरित).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant /informant, free of cost. (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता को प्राथमिकी पढ़ कर सुनाई गयी, सही दर्ज हुई माना और एक कॉपी निशुल्क शिकायतकर्ता को दी गयी)

R.O.A.C.
(आर.ओ.ए.सी.)

Signature of Officer in charge, Police Station
(थाना प्रभारी के हस्ताक्षर)

Name (नाम): Suresh Kumar

Rank (पद): Inspector

No. 293/RR

14. **Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता के हस्ताक्षर /अंगूठे का निशान)**

15. **Date and time of dispatch to the court (अदालत में प्रेषण की दिनांक और समय):**

Attachment to item 7 of First Information Report (प्रथम सूचना रिपोर्ट के मद 7 संलग्नक):

Physical features, deformities and other details of the suspect/accused: (If known / seen)

(संदिग्ध / अभियुक्त की शारीरिक विशेषताएँ, विकृतियाँ और अन्य विवरण: (यदि ज्ञात / देखा गया))

S. No. (क्र.सं.)	Sex (लिंग)	Date / Year Of Birth (जन्म तिथि / वर्ष)	Build (बनावट)	Height (cms) (कद (से.मी.))	Complexion (रंग)	Identification Mark(s) (पहचान चिन्ह)
1	2	3	4	5	6	7
1	Male	1959				**Is pox pitted:** Yes
2	Female	1964				**Is pox pitted:** Yes

Deformities / Peculiarities (विकृतियाँ / विशिष्टताएँ)	Teeth (दाँत)	Hair (बाल)	Eye (आँखें)	Habit(s) (आदतें)	Dress Habit (s) (पहनावा)
8	9	10	11	12	13

Language/Dialect (भाषा/बोली)	Place of (का स्थान)					Others (अन्य)
	Burn Mark (जले हुए का निशान)	Leucoderma (लुकोदेर्मा(सफ़ेद धब्बे))	Mole (मस्सा)	Scar (घाव)	Tattoo (गूदे हुए का)	
14	15	16	17	18	19	20

These fields will be entered only if complainant/informant gives any one or more particulars about the suspect/accused.

(यह क्षेत्र तभी दर्ज किए जाएंगे यदि शिकायतकर्ता / सूचनाकर्ता संदिग्ध / अभियुक्त के बारे में कोई एक या उससे अधिक जानकारी देता है)